राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 103 / 2009 / सवाईमाधोपुर
मैसर्स द्रोपदी स्टोन क्रेशर वर्क्स
तहसील बौंली,जिला सवाईमाधोपुर — प्रार्थी

बनाम

उपायुक्त(प्रशासन)
भरतपुर — अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री दिनेश कुमार
अभिभाषक — प्रार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 26.08.2014

निर्णय

यह अपील प्रार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(प्रशासन),वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत बिक्री कर मुक्ति हेतु प्रमाण प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2008 को उनके कार्यालय के पत्रांक 11035 दिनांक 25.03.2008 के द्वारा अपास्त किया गया है,जिसके क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की फर्म खादी एवं ग्रामोद्योग इण्डस्ट्रीज कमीशन जयपुर (राजस्थान) में पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण अवधि 18.2.2006 से 31.03.3008 व 01.08.2008 से 31.03.2011 के लिए वैध रजिस्टर्ड है। नियमों के अन्तर्गत वर्तमान खादी बोर्ड की पंजीकृत इकाईयों को कर मुक्ति अभिशंसा पत्र खादी बोर्ड के स्थान पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है। इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(28) एफडी / टैक्स / 2007 / 142 दिनांक 09.03.2007 यथा अधिसूचना संख्या एफ.12(142) एफडी / टैक्स / 2007 / 2006–54 दिनांक 03.11.2007 के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2006 से दिनांक 31.03.2008 तक की अवधि का राजस्थान खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज के अन्तर्गत पंजीकृत इण्डस्ट्रीज को छूट स्वीकृत कराने के लिए अधिकारिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2008 प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त अधिसूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष दिया कि उक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत उन्हीं इकाईयों को छूट प्राप्त है,जिनको खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2006 से पूर्व जारी किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2008 को जारी हुआ, इसलिए वह छूट हेतु पात्रता नहीं मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया,जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अधिसूचनों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष उद्धृत उपरोक्त अधिसूचनाओं को आदेश क्रमांक 5503 दिनांक 28.08.2008 में अधिसूचना संख्या एफ. 12(28) एफडी / टैक्स / 2007 / 142 दिनांक 09.03.2007 यथा अधिसूचना संख्या एफ. 12(142) एफडी / टैक्स / 2007 / 2006–54 दिनांक 03.11.2007 अंकित करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया गया है :–

"क्योंकि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 142 दिनांक 09.03.2007 सपठित अधिसूचना क्रमांक 54 दिनांक 3.11.2007 में स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिसूचना के तहत केवल वे ही इकाईयॉ कर मुक्ति हेतु पात्र है जिनको खादी व विलेज बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2006 से पहले जारी किया जा चुका हो। व्यवसायी को जारी पत्र के सम्बन्ध में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट द्वितीय,सवाईमाधोपुर को पत्र क्रमांक 3537 िदनांक 4.7.2008 को लिखा गया कि व्यवसायी विभाग में कब से पंजीकृत है तथा क्या उन्हें पूर्व में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत कर मुक्ति दी गई है? सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 484 दिनांक 17.7.2008 के द्वारा सूचित किया है कि व्यवसायी को पंजीयन जारी होने से तब तक ककी अवधि में खादी बोर्उ से कोई कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है।"

"इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवसायी को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 23.8.2008 को जारी हुआ है, जो दिनांक 01.04.2006 के पश्चात है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 142 दिनांक 09.03.2007 सपठित अधिसूचना क्रमांक 54 दिनांक 3.11.2007 में स्पष्ट प्रावधान है कि इनके तहत केवल उन्हीं इकाईयों को छुछ प्राप्त हैं, जिनको खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2006 से पूर्व जारी किया गया हो, क्योंकि व्यवसायी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2006 को जारी हुआ है। इसलिए वह छूट का पात्र नहीं । अतः व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।"

अपीलीय अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(28) एफडी / टैक्स / 2007 / 142 दिनांक 09.03.2007 यथा अधिसूचना संख्या एफ.12(142) एफडी / टैक्स / 2007 / 2006–54 दिनांक 03.11.2007 को अपने आदेश दिनांक 28.08.2008 में उद्धृत किया गया है,जिनके पठन से स्पष्ट है कि वे ही इकाईयॉ कर मुक्ति की पात्र है जिनको जिनको खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 01.04. 2006 से पूर्व जारी किया गया हो। उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में व्यवसायी को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2006 को जारी हुआ

है, इसलिए वे छूट की पात्र नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.08.2008 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य